10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

102

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/ 2017 निगरानी
III/निगरानी/शहडोल/भू.रा/2017/3529

१- नर्बदा | पुत्रगण सुन्दरलाल महरा,
२- चौरसिया |

निवासीगण ग्राम तितरा, तेहसील जैतपुर, -शहडोल
जिला शहडोल-मध्यप्रदेश ।

---- प्रार्थीगण

विरुध्द

१- रामकृपाल | पुत्रगण काली महरा पिता छोटू
२- मैहेलाल | महरा ।
३- बसन्तराम |

निवासीगण ग्राम तितरा, तेहसील जैतपुर, शहडोल,
जिला शहडोल-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

प्रस्तुत 25.9.17

CI2. 3.10.17

निगरानी विरुध्द आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय, जैतपुर, जिला शहडोल दिनांक १३-०७-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० ५।०६-१०-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, एक लम्बे समय पश्चात् अर्थात् सन् १९७४ में पारित नामान्तरण आदेश के विरुध्द प्रस्तुत अपील को बिना किसी समुचित कारण के

क्रमशः--२

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/3529 नर्वदा विरूद्ध रामकृपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जैतपुर के प्रकरण क्रमांक 5/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

7.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य